



6-1-20

पत्रावली प्रेष हुई अपील के अपिवक्ता एवं
 रेकॉर्ड्स एवं के अपिवक्ता अपिवक्ता अपिल प्रवक्ता
 का अवलोकन किया। अपील के पत्र उक्त अपिल
 धारा 90-A राज. प्रवक्ता अपिवक्ता के तहत
 पारित होने वाले निर्णय के सिद्ध प्रेष की गई है,
 परन्तु ऐसा कोई आदेश उक्त अपील के माध्यम से
 प्रेष नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त अपील पर
 किसी प्रकार की सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत
 नहीं होता है। अतः अपील अपील नर को लौट कर
 जाकर इसे स्तर निरन्तरित की जाती है पत्रावली
 निहित होकर तद्वर से का की जावे। अपिवक्ता
 कापिल का मूल रेकॉर्ड आदेश का की प्रति सहित
 लौटाना जावे।




 डिविजनल कमिश्नर
 जोधपुर